कार्यालय कलेक्टर,आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्स नं. 07749-223915, ई–मेल – actwd.balod@gmail.com

-:: ज्ञापन ::-

क्र./ 451 /आ.वि./पो.मै.आ.छा./2025 बालोद, दिनांक 10/07/2025

प्रति,

प्राचार्य,

शास./अशास. महाविद्यालय/आईटीआई./पॉलीटेक्निक/नर्सिंग/उद्यानिकी कालेज .... जिला बालोद (छ.ग.)

विषय :– वर्ष 2025–26 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(महाविद्यालयीन स्तर) के ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भः– 1.प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र क्र/33/दिनांक 29.04.2025

2.आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर का पत्र क्र/आ.ला.पो.मै.छा./215/2025–26/1740 रायपुर दिनांक 19.05.2025

— :: 00 ::—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है, कि पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ऑनलाईन छात्रवृत्ति वर्ष 2025–26 अंतर्गत व्यापक लोकहित एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सघन सतर्क रूप से छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अभिलेख के परीक्षण उपरांत शिक्षा सत्र 2025–26 के प्रारंभ में जारी किये जाने हेतु संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का ऑनलाईन आवेदन एवं संस्था द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही विभागीय वेबसाईट पर नवीनीकरण एवं नवीन विद्यार्थियों हेतु निम्नानुसार तिथियों में प्रारंभ कर दिया गया है।

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
नवीनकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025 तक
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 सितंबर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025 तक

उपरोक्तानुसार तिथियों तक वर्ष 2025–26 में प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन विद्यार्थियों का ऑनलाईन आवेदन करने एवं संस्था स्तर से स्वीकृति करने हेतु पोर्टल खोला गया है, परंतु आज दिनांक तक विद्यार्थियों द्वारा न ही आवेदन किया गया है और न ही संस्था द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति की कार्यवाही की गई जो कि अत्यंत खेद का विषय है। साथ ही विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समयावधि में भुगतान तिथि पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर संस्था में अध्ययनरत समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान माह दिसम्बर तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः समस्त संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है, कि समय–सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए संस्था में अध्ययनरत छात्रवृत्ति हेतु पात्र समस्त छात्र–छात्राओं का छात्रवृत्ति स्वीकृति करते हुए निर्धारित तिथि में आवश्यक अभिलेख अनिवार्यतः इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बालोद

- 410 -\\Server\e\Narsingh Sahu\Memo Scholarship 2024.docx

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्र./ 4514/आ.वि./पो.मै.ऑ.छा./2025 बालोद, दिनांक 10/07/2025

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला बालोद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बालोद

Scanned with OKEN Scanner